न्यायालय तहसीलदार रामगंजमंडी (कोटा)

पीठासीन अधिकारी राधेश्याम मीना (आर.टी.एस.)

प्रक० 3/2017

1. रामनारायण पु० रामचन्द्र जाति बैरवा नि० फतेहपुर
2. अंगूरबाई, ललिता, बदाम D/o रामचन्द्र बैरवा नि० फतेहपुर

बनाम

प्रबन्धक, मंगलम सीमेन्ट लि० मोड़क तह० रामगंजमंडी

अन्तर्गत 183(बी) R.T. ACT.

निर्णय दिनांक 9/4/18

संक्षेप में वाद प्रा०पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रामनारायण पु० रामचन्द्र, अंगूरबाई, ललिताबाई, बादामबाई D/o रामचन्द्र, मोहनीबाई W/o श्याम लाल जाति बैरवा नि० फतेहपुर ने निवेदन किया है कि ग्राम गणेशपुरा खुर्द में स्थित हमारे खाते की भूमि ख.न. 27 की 4 बीघा 14 बिस्वा व ख.नं 28 कि. 3 बीघा पर मंगलम सीमेन्ट लि० मोड़क द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है। हमने मंगलम सीमेन्ट लि० मोड़क को कोई भूमि बेचान नही की है। हमारे खाते की भूमि हमें वापिस दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी मंगलम सीमेन्ट मोड़क को जरिये नोटिस तलब किया गया, मंगलम सीमेन्ट की ओर से अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जवाब अन्तर्गत बताया गया कि कम्पनी भारतीय कम्पनी अधि० 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत पब्लिक लि० कम्पनी है। जिसे राज्य सरकार द्वारा 881 है. भूमि खनन कार्य हेतु माईनिंग लीज पर दी है। वह माईनिंग लीज की अवधि 2030 तक वैध है। लैण्ड रेवेन्यू रूल्स की धारा 89G M.M ICR Rules 1986 के तहत कम्पनी के पक्ष में दी गई है, राज्य सरकार द्वारा लीजडीड में खनन कार्य करने के लिये प्रक्रिया दी हुई है।

P.T.O-2

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र बैरवा के खाते में ग्राम जमेशापुरा की ख.नं. 27 की 4 बीघा 14 बिस्वा व ख.नं. 28 की 3 बीघा भूमि दर्ज रेकार्ड है उक्त दोनों खसरा नम्बर मंगलम सीमेन्ट लि० मोड़क की माईनिंग लीज में आते हैं। अप्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र बैरवा ने अपने जीवन काल में दोनों खसरा नम्बरों का एग्रीमेन्ट व शपथ पत्र दिनांक 16-1-1992 को भूमि पर खनन कार्य करने की स्वीकृति दी है। तथा कम्पनी ने उचित चैक मुआवजा प्राप्त कर वादी कम्पनी को पूर्ण रूप से कब्जा संभला दिया गया है। कब्जा प्राप्त करने के बाद से खनन कार्य प्रारम्भ कर रखा है।

खनिज अभियन्ता खनन एवं भू-विज्ञान रामगंजमंडी मैसर्स मंगलम सीमेन्ट लि० मोड़क M.L.H.02/1976 उप-शासन सचिव खान ग्रुप-4 C76 दिनांक 10-9-1976 स्वीकृत किया गया है। तथा बताया की लीज क्षेत्र में खातेदार की कृषि भूमि में खनन करने से पूर्व खातेदार की सहमति ली जाती है।

प्रार्थीगण को साक्ष्य/जवाब हेतु अवसर दिया गया, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये।

रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा उक्त विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना बताया है। तथा दोनों ख.न. 27, 28 मंगलम सीमेन्ट की खनन लीज क्षेत्र में स्थित है। जिस पर कम्पनी द्वारा कांउड्रीवाल कर रखी है।

हमने पत्रावली में शामिल दस्तावेज, जवाब, रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की विवादित आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज रेकार्ड है। व प्रार्थीगण अनु० जाति वर्ग में आते हैं। प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र (मृतक) द्वारा उक्त भूमि मंगलम सीमेन्ट लि०

P.T-0-3

Scanned by CamScanner

माइंस की खनन लीज क्षेत्र में आने से भूमि का मुआवजा राशि ली जाकर प्रपत्र-पत्र पर खनन करने की सहमति कम्पनी को दी जाकर कब्जा सम्भलाया गया है। मंगलम-सीमेन्ट लि० माइंस M.L.N. 02/1976 उप शासन सचिव-ग्रुप-4/76 दिनांक 10-9-1976 स्वीकृत किया गया है। लीज क्षेत्र में खातेदार की कृषि भूमि खनन करने से पूर्व खातेदार की सहमति ली गई है। अतः उक्त परिपेक्ष्य में प्रार्थी प्रा०पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(राधेश्याम मीना)

तहसीलदार रा०गं०मंडी

Scanned by CamScanner